भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3598
दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डॉक्टरों की पदोन्नति में देरी

3598. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन मेडिकल कॉलेजों का ब्यौरा क्या है जहां डॉक्टरों (सहायक प्रोफेसरों) को समय पर पदोन्नत नहीं किया गया है;
(ख) क्या सरकार की 10-15 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे डॉक्टरों को एक साथ सभी लंबित पदोन्नतियों को समय से प्रदान करने की कोई योजना है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका कैरियर बर्बाद नहीं हो;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो उनकी पदोन्नति में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पदोन्नति का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के मेडिकल कॉलेज डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन स्कीम (डीएसीपी) का अनुसरण करते हैं जिसके अंतर्गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अध्यधीन सहायक प्रोफेसर से आगे समयबद्ध पदोन्नतियां की जाती हैं।

****